न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या : 1/2023 **GCMS 2023/1**

वादीगण :

1. घनश्याम पुत्र पुसाराम, आयु 66 वर्ष, जाति दर्जी, निवासी कुचामन शहर,तहसील-कुचामन, जिला — नागौर (राजस्थान)
2. गौरीशंकर पुत्र पुसाराम,आयु 56 वर्ष, जाति दर्जी, निवासी कुचामन शहर,तहसील-कुचामन, जिला — नागौर (राजस्थान)
3. सुन्दरलाल पुत्र पुसाराम,आयु 55 वर्ष, जाति दर्जी, निवासी कुचामन शहर,तहसील-कुचामन, जिला — नागौर (राजस्थान)
4. सुवालाल पुत्र स्व. रामजीवण, आयु 55 वर्ष, जाति दर्जी, निवासी कुचामन शहर,तहसील-कुचामन, जिला — नागौर (राजस्थान)
5. कालूराम पुत्र स्व. रामजीवण, आयु 54 वर्ष, जाति दर्जी, निवासी कुचामन शहर,तहसील-कुचामन, जिला — नागौर (राजस्थान)
6. श्यामादेवी पुत्री पुसाराम पत्नी राधेश्याम,आयु...... वर्ष, जाति दर्जी, निवासी नाडी के पास, शिवाजी नगर, मदनगंज-किशनगढ़, जिला अजमेर (राजस्थान)
7. रामा देवी पुत्री पुसाराम पत्नी माणकलाल,आयु...... वर्ष, जाति दर्जी, निवासी गणेश मंदिर के पास, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, नागौर, जिला नागौर (राजस्थान)
8. लीला देवी पुत्री पुसाराम पत्नी कैलाश चंद सर्वा,आयु...... वर्ष, जाति दर्जी, निवासी सेक्टर — 4, चिरंजीव विहार, ग़ाज़ियाबाद, जिला — गाज़ियाबाद (उत्तर-प्रदेश)

बनाम

प्रतिवादीगण :

1. हेमराज पुत्र स्व. तुलसीराम, जाति — दर्जी, निवासी सीकर (राजस्थान)
2. सविता पुत्री स्व. तुलसीराम, जाति दर्जी, निवासी सीकर (राजस्थान)
3. कौशल्या पुत्री स्व. तुलसीराम, जाति दर्जी, निवासी सीकर (राजस्थान)
4. राधा पत्नी स्व. तुलसीराम, जाति दर्जी, निवासी सीकर (राजस्थान)

प्रभुराम पुत्र गीगाराम के वारिसान (प्रतिवादी संख्या 5 से 10)

5. जेठू देवी पत्नी प्रभुराम जाति जाट निवासी ग्राम-पनवाड़ी,तह.-कुचामन, जिला नागौर (राज.)
6. लिछमादेवी पुत्री प्रभुराम पत्नी बन्नाराम जाति जाट निवासी कड़वा का बासड़ा, कुचामन सिटी, तह.- कुचामन, जिला नागौर (राज.)
7. रूघाराम पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी ग्राम-पनवाड़ी,तह.-कुचामन, जिला नागौर (राज.)
8. चन्द्राराम पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी ग्राम-चिण्[illegible]या, [illegible]ला नागौर (राज.)
9. लक्ष्मणराम पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी ग्राम-पनवाड़ी,तह.-कुचामन, जिला नागौर (राजस्थान)
10. हेमाराम पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी ग्राम-पनवाड़ी,तह.-कुचामन, जिला नागौर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:51:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

11. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, तह.-कुचामन, जिला नागौर (राजस्थान)
12. पटवारी हल्का ग्राम रूपपुरा-टोरडा, तहसील-कुचामन, जिला — नागौर (राजस्थान)

वाद-पत्र बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88एवं 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— श्री पुष्पेन्द्रसिंह मेड़तिया एवं श्री सुधीर शर्मा अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रति. 1 से 7 की ओर से।
राज पैरोकार तहसीलदार कुचामनसिटी प्रति. 11

निर्णय

दिनॉक :— 03/02/2023

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार से है मौजा ग्राम पनवाड़ी पटवार हल्का रूपपुरा टोरडा, तहसील कुचामन की सरहद में कृषि भूमि गत खसरा संख्या 72/12 रकबा 62.02 बीघा स्थित रही है जिसके द्वितीय भू-प्रबन्ध कार्यवाही सन् 1986-90 की अवधि के दौरान नवीन खसरा संख्या 104 रकबा 0.0500 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ढाणी खसरा संख्या 105 रकबा 5.4200 हेक्टेयर,खसरा संख्या 106 रकबा 5.7000 हेक्टेयर,खसरा संख्या 107 रकबा 2.1700 हेक्टेयर कुल खसरा संख्या 4 कुल रकबा 13.3400 हेक्टेयर कायम हुए हैं। उक्त कृषि भूमि गत खसरा संख्या 72/12 रकबा 62.02 बीघा नवीन खसरा संख्या 104 रकबा 0.0500 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ढाणी खसरा संख्या 105 रकबा 5.4200 हेक्टेयर,खसरा संख्या 106 रकबा 5.7000 हेक्टेयर, कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 11.1700 हेक्टेयर बरवक़्त जागीर तत्कालीन जागीरदार राजा श्री हरिसिंह की जागीर खुद-काश्त भूमि रही थी। उक्त गत खसरा संख्या 72/12 रकबा 62.02 बीघा की सम्पूर्ण भूमि को जागीरदार स्वयं द्वारा रामजीवण पुत्र रामचन्द्र, पुसाराम पुत्र टोडरमल, तुलसीराम पुत्र रामजीवण, घनश्याम पुत्र पुसाराम को जरिये विधिवत पंजीबद्ध विक्रय-पत्र दिनांक 27/08/1964 को विक्रय कर भौतिक कब्जा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को सुपुर्द कर दिया था तब से उक्त भूमि वादीगण के कब्जे व आधिपत्य में निरन्तर चली आ रही है तथा उक्त भूमि के सम्बन्ध में जो भी अधिकार जागीरदार राजा साहब श्री हरिसिंह जी के पास थे वह सभी हक-अधिकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को जायज रूप से प्राप्त हो गए थे तथा वादीगण उक्त भूमि का निरन्तर उपयोग-उपभोग करते आ रहे हैं। विक्रय-पत्र के आधार पर क्रय-शुदा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 13 के द्वारा विधिवत् वादीगण के नाम खातेदारी स्वीकृत होकर जमाबन्दी सम्वत् 2020 से 2023 में नामान्तरकरण का अमल हो गया था तत्पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की निरन्तर खातेदारी दर्ज चली आ रही थी। नवीन भू-प्रबन्ध पश्चात गत खसरा संख्या 72/12 के नवीन खसरा संख्या 104, 105, 106, 107 कायम किये जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पक्ष में पर्चा लगान जारी कर दिया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:51:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

तदनुसार भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार की गयी मिसाल बन्दोबस्त सम्वत् 2046 से 2065 में भी उक्त खसरान की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज हो गयी। खातेदारी तो पूर्ववत् वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पूर्वजों के नाम दर्ज हुयी परन्तु प्रतिवादी संख्या 5 के पति तथा प्रतिवादीसंख्या 6 से 10 के पिता का नाम भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पूर्वजों के साथ-साथ भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा उप-कृषक दर्ज कर दिया गया। तत्पश्चात आज दिनांक तक वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 अपनी खातेदारी भूमि पर निर्बाध रूप से शान्तिपूर्वक काबिज होकर उपयोग-उपभोग करते आ रहे हैं। दिनांक 01/12/2022 को पटवारी हल्का से हमारी खातेदारी भूमि का नाप-चौक कर सीमा ज्ञान हेतु निवेदन किया गया तो पटवारी हल्का ने अवगत करवाया की *"यह भूमि तो राजकीय दर्ज है जिसका आपको सीमा ज्ञान नहीं करवाया जा सकता है, आपको इस भूमि पर से कब्जा हटाना पड़ेगा अन्यथा राजस्व विभाग द्वारा आपके खिलाफ बेदखली की कार्यवाही कर कब्जा हटाया जाएगा।"* तत्पश्चात पटवारी हल्का तहसील कार्यालय जिला कार्यालय से वांछित नकलें आदि प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पनवाड़ी के नामान्तरकरण संख्या 140 दिनांक 05/02/2003 के द्वाराखसरा संख्या 104 रकबा 0.0500 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ढाणी खसरा संख्या 105 रकबा 5.4200 हेक्टेयर,खसरा संख्या 106 रकबा 5.7000 हेक्टेयर,खसरा संख्या 107 रकबा 2.1700 हेक्टेयर में से रकबा 11.1200 हेक्टेयर का वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 तथाप्रतिवादी संख्या 5 के पति व प्रतिवादी संख्या 6 से 10 के पिता श्रीप्रभुराम पुत्र गीगाराम (जो उपकृषक दर्ज है) का नाम हटा कर सीलिंग में प्राप्त सिवाय चक दर्ज कर दी गयी। ग्राम पनवाड़ी के नामान्तरकरण संख्या 140 दिनांक 05/02/2003 द्वारा गलत रूप से मन-मर्जी पूर्वक वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की गैर मौजूदगी में राजकीय दर्ज कर दी गयी जबकि सीलिंग प्रकरण में ना तो वादीगण (Assessee) निर्धारित है ना ही सीलिंग प्रकरण में पक्षकार रहे हैं एवं ना ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की भूमि सीलिंग से प्रभावित भूमि रही है। वादीगण की विधिपूर्वक दर्जशुदा खातेदारी भूमि को अविधिपूर्वक खातेदारी से नाम हटाकर राजकीय दर्ज कर दी गयी जबकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पूर्वजों ने भूमि विधिवत खरीद कर 50 वर्षों से भी अधिक समय से शांतिपूर्वक कब्जा काश्त करती आ रहे हैं तथा खरीद के बाद से भूमि सुधार हेतु इस भूमि पर लाखों रुपये खर्च कर उपजाऊ बनाया है एवं इसी भूमि में वादीगण की रहवासी ढाणी बनी हुयी है ज[illegible]थित सीलिंग प्रकरण में ना तो वादीगण पक्षकार रहे है और ना ही निर्धारिती [illegible] भी नोटिस जारी नहीं हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:51:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

वादीगण की सुनवाई किये बिना ही वादीगण के जायज़ अधिकारों पर कुठाराघात करते हुए वादीगण की खातेदारी के अंकन को समाप्त कर दिया जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के जायज अधिकारों पर निष्प्रभावी व शून्य है ।अतः वादीगण उक्त खसरा संख्या 105, 106 कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 11.1200 हेक्टेयर की पुनः खातेदारी दर्ज करवाने के हक़दार हैं। प्रतिवादी संख्या 12पटवारी हल्का ग्राम रूपपुरा-टोरडा द्वारा दिनांक 01/12/2022 से निरन्तर वादीगण को कब्जा हटाने व बेदख़ली की धमकी दी जा रही है कि इस राजकीय दर्ज भूमि से राजस्व विभाग के प्रतिनिधिगण द्वारा कब्जा हटाने की व बेदखली की कार्यवाही की जावेगी जबकि कदीमी जायज कब्जा वादीगण का है जिसके फलस्वरूप वादीगण प्रतिवादीसंख्या 11 तथा 12 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने के हक़दार हैं। विनाय दावा अभी दिनांक 01/12/2022 को प्रतिवादी संख्या 12पटवारी हल्का ग्राम रूपपुरा-टोरडा द्वारा उक्त भूमि का नाप-चौक तथा सीमा-ज्ञान करने से इनकार करने पर व रिकॉर्ड में हुए नामान्तरकरण की जानकारी देने पर दिनांक 05/12/2022 को जिला अभिलेखागार नागौर से आवश्यक नकलें प्राप्त करने पर अभी 3-4 दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या 12 पटवारी हल्का ग्राम रूपपुरा-टोरडा द्वाराउक्त भूमि को सरकारी भूमि मानकर वादीगण की बेदखली करवाने की धमकी दिए जाने पर ब-मुकामग्राम पनवाड़ी तहसील कुचामन सिटी उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादी संख्या 5 के पति व प्रतिवादी संख्या 6 से 10 के पिता प्रभुराम पुत्र गीगाराम जाति जाट निवासी कुचामन को नवीन भू-प्रबन्ध में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पूर्वजों की खातेदारी के साथ-साथ उप-कृषक दर्ज कर दिए जाने एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के बाहर होने की वजह से एवं प्रतिवादी संख्या 11 राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने से व प्रतिवादी संख्या 12 स्थानीय पटवारी हल्का होने व उनके द्वारा बेदखली की धमकी दिए जाने से आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी संयोजित किये गए हैं। प्रतिवादीगण संख्या 11 तथा 12राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जिनके विरुद्ध वाद लाने से पूर्व दीवानी प्रकिया संहिता-1908 की धारा 80(1) के अधीन 2 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, परन्तु वादीगण का वाद अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का है। अतः नोटिस की अवधि के दौरान प्रतिवादीगण संख्या 11 एवं 12 द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में से बेदखल कर दिया गया तो वादीगण का वाद लाने का मकसद ही समाप्त हो जाएगा। अतः प्रतिवादीगण संख्या 11 तथा 12के विरुद्ध बिना दीवानी प्रकिया संहिता-1908 की धारा 80(1) के नोटिस दिए वाद लाने की अनुमति प्राप्त कर उसी अनुमति के तहत यह वाद पेश है। वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम पनवाड़ी के खसरा संख्या 105 रकबा 5.4200 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय ,खसरा संख्या [illegible]6 रकबा 5.7000 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 11.1200 [illegible] एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:51:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

काबिज खातेदार काश्तकार हैं। इस आशय के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री बहक वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 5 से 10 तथा 11 एवं 12 सादिर फरमाई जावे।

(i) उक्त खसरा संख्या 105 तथा 106 के बाबत नामान्तरकरण संख्या 140 दिनांक 05/02/2003 के द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के विरुद्ध की गयी प्रविष्टि व तत्पश्चात् की जमाबंदी में हुए वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के खातेदारी अधिकारों के सरकारी इन्द्राज को वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के अधिकारों पर निष्प्रभावी व शून्य घोषित किया जावे तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के नाम पुनः खातेदारी तमाम रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी संख्या 11 तहसीलदार कुचामन सिटी को फरमाए जावें। उक्त खसरा संख्या 105 तथा 106 वाके पनवाड़ी पर के वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के कब्जा काश्त व अधिकारों में किसी भी प्रकार का दखल ना तो प्रतिवादी संख्या 11 व 12 स्वयं डाले और ना ही अपने एजेंट या प्रतिनिधियों से डलवाए इस आशय की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी सं. 1से 7 की ओर से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत हुआ, प्रतिवादी सं. 8, 9, 10, 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 11 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया, जिसे शामिल मिसल किया गया।

प्रतिवादी सं. 1 से 7 ने इकबाली जवाब प्रस्तुत कर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादीगण का वाद इस्तदुआ माफिक स्वीकार किया जावे तो उन्हे कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादी सं. 11 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबंध विभाग अनुसार अभिलेखीय स्थिति स्वीकार है, सम्वत 2020–2023 की जमाबंदी नकल अनुसार पनवाड़ी के गत खसरा नम्बर 72/12 रकबा 62 बीघा 12 बिस्वा राजा हरिसिंहजी ठिकाना कुचामन खातेदार दर्ज था, इसी चौसाला जमाबंदी में विशेष विवरण का नोट अंकित है कि म्यूटेशन नं. 13 रामजीवण,घनश्याम पुत्र पुसाराम कौम दर्जी सा. कुचामन, सम्वत 2020–2023 में पैरा सं. 2 अनुसार प्रविष्टि दर्ज है, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2046–2065 के अनुसार वादी का कथन स्वीकार किया है, नामान्तरकरण सं. 140 के द्वारा सीलिंग प्रकरण सं. 47/87 (9/79) नया कानून राज्य सरकार बनाम श्री प्रतापसिंह के कायम मुकामान में न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर के निर्णय दिनॉक 19.04.2022 के पैरा सं. 5 में उल्लेखित अनुसार जमाबंदी सम्वत 2028–2031 का संदर्भ करते हुए उक्त खसरा नम्बर 72/12 रकबा 62.02 को सीलिंग से सिवाय चक दर्ज कर दी गई, वादीगण का नाम बिन्दू सं. 7 में वर्णित सीलिंग प्रकरण के द्वारा पारित आदेश 19.04.2002 की पालना में हटाया गया है, अन्य बिन्दू वादीगण स्वयं सिद्व करे तथा कुछ बिन्दू न्यायालय से संबंधित है, साथ ही निवेदन किया कि नामा. सं. 140 विधिवत न्यायालय के आदेश से दर्ज किया जाकर भूमि राजकीय दर्ज की गई है वाद वादीगण काबिल खारिज है अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:51:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

खारिज फरमाया जावे। उपरोक्त जवाब दावा एवं वाद में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर निम्न प्रकार से तनकियात कायम की गई :—

तनकियात

1. आया वादीगण ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 105 रकबा 5.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 106 रकबा 5.70 हैक्टर कुल रकबा 11.12 हैक्टर खातेदारी कब्जा सुदा भूमि में बिना सुने सीधे ही निर्णय पारित कर खातेदारी गलत रूप से सिवाय चक कर दी गई है जिसको पुनः अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाये जाने के मुश्तहक है ?

जिम्मे वादीगण

2. आया प्रतिवादी सं. 11 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि का जरिये नामा. सं. 140 / 05.02.2003 निर्णय दिनॉक 19.04.2002 अनुसार सीलिंग प्रकरण सं. 47 / 87 (9 / 79) नया कानून राज्य सरकार बनाम श्री प्रतापसिंह के कायम मुकामान में न्यायालय अपर कलक्टर महोदय नागौर के निणर्य दिनॉक 19.04.2002 के पैरा सं. 5 में उल्लेखित अनुसार जमाबंदी 2028—2031 का संदर्भ करते हुए सीलिंग से सिवाय चक दर्ज की गई है, इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र काबिल खारिज होने से खारिज फरमाया जावे ?

जिम्मे प्रति. 11

3.अनुतोष ।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण की ओर से जमाबंदी नकल सम्वत 2020—2023, 2024—2027, 2028—2031, 2035—2038, 2039—2042 एवं चालू जमाबंदी नकल, नामान्तरकरण सं. 140 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की। प्रतिवादी सं. 11 की ओर से नामा. सं. 140 की छाया प्रति प्रस्तुत की।

मौखिक साक्ष्य में वादी द्वारा शपथ—पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं. 11 द्वारा मौखिक साक्ष्य में किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई, वादीगण अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पुनः उनकी खातेदारी में दर्ज किये जाने का कथन किया है। प्रतिवादी सं. 11 राज पैरोकार तहसीलदार कुचामन ने वाद खारिज किये जाने का कथन किया है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। निर्णय तनकीवार निम्नवत है :—

तनकी सं. 1— उक्त तनकी संख्या एक को साबित करने का भार वादीगण पर रहा। जिन्होने अपने समर्थन में जमाबंदी नकले, नामा. की नकले प्रस्तुत की। जमाबंदी नकल सम्वत 2020—2023 ग्राम पनवाड़ी के गत खसरा नम्बर 72 / 12 रकबा 62 बीघा 2 बिस्वा बारानी द्वितीय रामजीवण पुत्र रामचन्द्र पुसारा पुत्र टोडरमल तुलछीराम पुत्र रामजीवण घनश्याम पुत्र पुसाराम कौम दर्जी सा. कुचामन दर्ज है, सम्वत 2024—2026, 2024—2027, 2028—2031, 2035—2038, 2039—2042 मे भी उपरोक्तानुसार प्रविष्टि दर्ज चली आई है, वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2076—2079 ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 105 रकबा 5.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 106 रकबा 5.70 हैक्टर राजकीय खाते में दर्ज चली आ रही है जो जरिये नामा. 140 दि.19.04.2002 द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 के खातेदारी अधिकार समाप्त कर राजकीय खाते में [illegible] दी गई है जबकि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर पक्षकारान वादीगण एवं प्रति[illegible] निरन्तर चला आ रहा है तथा आज दिन भी इन्ही का कब्जा काश्त है उपरोक्त [illegible] उनके द्वारा दिनॉक 27.08.1964 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:51:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र से रामजीवण पुत्र रामचन्द्र पुसाराम पुत्र टोडमल तुलसीराम पुत्र रामजीवण घनश्याम पुत्र पुसाराम दर्जी द्वारा क्रय क़ी गई जिसका राजस्व रेकार्ड में जरिय नामा. सं. 13 से अमल दरामद होकर खातेदारी दर्ज हुई। नवीन भू–प्रबन्ध पश्चात गत खसरा नम्बर 72/12 के नवीन खसरा नम्बर 104, 105, 106, 107 कायम किये जाकर उनके पूर्वजो के पक्ष में पर्चा लगार जारी कर मिसल बंदोबस्त सम्वत 2046–2065 में भी उक्त खसरान की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज की गई। ग्राम पनवाड़ी के नामा. 140 दिनॉक 05.02.2003 द्वारा गलत रूप से मनमर्जी पूर्वक वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 की खातेदारी भूमि को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना राजकीय दर्ज कर दी गई जबकि सीलिंग प्रकरण में ना तो वादीगण निर्धारित है ना ही सीलिंग प्रकरण में पक्षकार संयोजित रहे है तथा ना ही वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 की भूमि सीलिंग से प्रभावित रही है। मौके पर वादीगण की रहवासीय ढ़ाणी भी बनी हुई है जिसकी खातेदारी आज दिन भी उन्हे के नाम दर्ज चली आ रही है, खातेदारी पूर्ववत वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 के पूर्वजो के नाम दर्ज हुई परन्तु प्रतिवादी सं. 5 के पति तथा प्रतिवादी सं. 6 से 10 भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उपकृषक दर्ज कर दिया गया, खसरा नम्बर 107 रकबा 2.17 हैक्टर भूमि अन्य खातेदार के नाम दर्ज रही है, खसरा नम्बर 105 106 की भूमि राजकीय दर्ज हुई है जिसकी वे खातेदारी पाने के अधिकारी है, प्रतिवादी सं. 11 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किय गया है जिससे प्रतीत होता हो कि प्रश्नगत भूमि कभी राजकीय दर्ज रही हो तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर दिया जाकर माननीय अपर न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया हो। प्रतिवादी सं. 1 से 7 ने भी इकबाली जवाब प्रस्तुत कर वाद को स्वीकार कियाा है, एवं प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य अनुसार भी वादीगण का उपरोक्त भूमि पर कब्ज़ा काश्त एवं खातेदारी पाने के अधिकार साबित होते है। उपरोक्त तथ्यों के अलावा राजस्व रेकार्ड इत्यादि से भी वादीगण के कथन एवं इस्तदुआ पाये जाने के बिन्दू वादीगण के पक्ष में साबित होते है। इस प्रकार वादी सं. 1 को वादीगण साबित करने में सफल रहे है, अतः तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 2 को साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 11 पर रहा, जिन्होने जवाब के साथ नामान्तरकरण सं.140 की नकल प्रस्तुत की। मौखिक साक्ष्य में कोई शपथ–पत्र इत्यादि प्रस्तुत नही किया। परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही हुआ है जिससे स्पष्ट हो सके की उपरोक्त नामान्तरकरण से खातेदारी से राजकीय भूमि सही दर्ज हुई हो। जबकि वादग्रस्त भूमि वादीगण एंव प्रतिवादीगण 1 से 4 की खातेदारी कब्जा सुदा भूमि दर्ज चली आई है तथा माननीय अपर कलक्टर नागौर के आदेश अनुसार भूमि को सीलिंग की मानते हुए राजकीय दर्ज की गई, जिसमें पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 को समुचित सुनवाई नही दिया गया है, प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 से 7 द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद को स्वीकार करते हुए वाद डिक्री किये जाने के कथन किये है तथा समस्त प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड इत्यादि वादी के पक्ष में साबित है। अतः तनकी सं. 2 के विरूद्व एवं वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 3 अनुतोष :– उपरोक्त तनकी सं. 1 व 2 वादी के पक्ष निर्णित की गई है। अतः प्रकरण के विवेचन से साबित है कि वादी वाद साबित करने में सफल रहे है। अतः वाद वादीगण काबिल डिक्री योग्य पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:51:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

आदेश

वाद डिक्री कर घोषणा की जाती है, ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 105 रकबा 5.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 106 रकबा 5.70 हैक्टर कुल रकबा 11.12 हैक्टर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट शीघ्र इस न्यायालय में प्रस्तुत करे, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें।

आदेश आज दिनॉक 03/02/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:51:08 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं. 1/2023

1. घनश्याम पुत्र पुसाराम, आयु 66 वर्ष, जाति दर्जी, निवासी कुचामन शहर,तहसील-कुचामन, जिला — नागौर (राजस्थान)
2. गौरीशंकर पुत्र पुसाराम,आयु 56 वर्ष, जाति दर्जी, निवासी कुचामन शहर,तहसील-कुचामन, जिला — नागौर (राजस्थान)
3. सुन्दरलाल पुत्र पुसाराम,आयु 55 वर्ष, जाति दर्जी, निवासी कुचामन शहर,तहसील-कुचामन, जिला — नागौर (राजस्थान)
4. सुवालाल पुत्र स्व. रामजीवण, आयु 55 वर्ष, जाति दर्जी, निवासी कुचामन शहर,तहसील-कुचामन, जिला — नागौर (राजस्थान)
5. कालूराम पुत्र स्व. रामजीवण, आयु 54 वर्ष, जाति दर्जी, निवासी कुचामन शहर,तहसील-कुचामन, जिला — नागौर (राजस्थान)
6. श्यामादेवी पुत्री पुसाराम पत्नी राधेश्याम,आयु...... वर्ष, जाति दर्जी, निवासी नाडी के पास, शिवाजी नगर, मदनगंज-किशनगढ़, जिला अजमेर (राजस्थान)
7. रामा देवी पुत्री पुसाराम पत्नी माणकलाल,आयु...... वर्ष, जाति दर्जी, निवासी गणेश मंदिर के पास, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, नागौर, जिला नागौर (राजस्थान)
8. लीला देवी पुत्री पुसाराम पत्नी कैलाश चंद सर्वा,आयु...... वर्ष, जाति दर्जी, निवासी सेक्टर — 4, चिरंजीव विहार, ग़ाज़ियाबाद, जिला — गाज़ियाबाद (उत्तर-प्रदेश)

बनाम

प्रतिवादीगण :

1. हेमराज पुत्र स्व. तुलसीराम, जाति — दर्जी, निवासी सीकर (राजस्थान)
2. सविता पुत्री स्व. तुलसीराम, जाति दर्जी, निवासी सीकर (राजस्थान)
3. कौशल्या पुत्री स्व. तुलसीराम, जाति दर्जी, निवासी सीकर (राजस्थान)
4. राधा पत्नी स्व. तुलसीराम, जाति दर्जी, निवासी सीकर (राजस्थान)

प्रभुराम पुत्र गीगाराम के वारिसान (प्रतिवादी संख्या 5 से 10)

5. जेठू देवी पत्नी प्रभुराम जाति जाट निवासी ग्राम-पनवाड़ी,तह.-कुचामन, जिला नागौर (राज.)
6. लिछमादेवी पुत्री प्रभुराम पत्नी बन्नाराम जाति जाट निवासी कड़वा का बासड़ा, कुचामन सिटी, तह.-कुचामन, जिला नागौर (राज.)
7. रूघाराम पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी ग्राम-पनवाड़ी,तह.-कुचामन, जिला नागौर (राज.)
8. चन्द्राराम पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी ग्राम-चिण्डालिया, जिला नागौर (राज.)
9. लक्ष्मणराम पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी ग्राम-पनवाड़ी,तह.-कुचामन, जिला नागौर (राजस्थान)
10. हेमाराम पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी ग्राम-पनवाड़ी,तह.-कुचामन, जिला नागौर (राज.)
11. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, तह.-कुचामन, जिला नागौर (राजस्थान)
12. पटवारी हल्का ग्राम रूपपुरा-टोरडा, तहसील-कुचामन, जिला — नागौर (राजस्थान)

वाद-पत्र बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88एवं 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री पुष्पेन्द्रसिंह अधिवक्ता हाजिरी मिनजानिब मुदई रू–बरू अशोकपुरी अधिवक्ता एवं राजकीय पैरोकार प्रति. सं. 11 मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद डिक्री कर घोषणा की जाती है, ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 105 रकबा 5.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 106 रकबा 5.70 हैक्टर कुल रकबा 11.12 हैक्टर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल द[illegible] न्यायालय में प्रस्तुत करे, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें।**

निज .... मुबलिग .... बाबत [illegible] खर्चा [illegible] के सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:51:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

कुचामन सिटी (नागौर)

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 03 माह 02 सन् 2023 को जारी की गई।

(मुहर) खण्ड अधिकारी

दस्तखत............

ओहदा...... उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:51:08 IST
Reason: SelfAttested